बिहार विधान-सभा वादवृत

बृहस्पतिवार तिथि २१ सितम्बर, १९७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २१ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ९ बजे उपाध्यक्ष, श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का रखा जाना :

श्री दारोगा प्रसाद राय—महोदय, मैं षष्ठ विधान-सभा, १९७२ के अनागत, अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूँ। (*)

पाद टिप्पणी (*) उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें।

(२) इस वर्ष श्री मो० कलीम खां, प्रे ढौल की बदली करगहर अवर प्रमण्डल में नहीं की गयी है। अतः इसे कार्यान्वयन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जमीन की कीमत का भुगतान

५६२। श्री जनार्दन यादव—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत अमरपुर प्रखंड के माढ़ोचक एवं सलेमपुर ग्राम वासियों की जमीन चन्दन बेलासी चौथछिलका में नहर बनाने में ली गयी है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन वालों की जमीन की कीमत अभी तक नहीं मिली है। यदि हां तो, सरकार उक्त जमीन वालों को कबतक कीमत दिलाने का विचार रखती है?

श्री जगन्नाथ मिश्र—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) जमीन मालिकों की जमीन की कीमत भुगतान करने के लिए भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है।

अतिरिक्त प्रमण्डल का निर्माण

५९५। श्री सत प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—क्या यह बात सही है कि आरा जिला के सोन अंचल के अधीन प्रमंडलों पर कार्यभार को देखते हुए दो अलावे प्रमण्डल निर्माण करने का विचार सरकार कर रही है, यदि हां तो इस संबंध में आवश्यक निर्णय कबतक लिया जायेगा तथा अनावश्यक विलंब का कारण क्या है?

श्री जगन्नाथ मिश्र—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।